हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम तारीखहुकम	राजस्व आवेदन संख्या 233/2017 अनवार गुलशेराम बनाम दुर्गाराम
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय डाबलीसरा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक **24.11.2021** को ग्राम पंचायत मुख्यालय डाबलीसरा, राजीव गांधी सेवा केन्द्र डाबलीसरा पर पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर
24.11.2021	यह पत्रावली आज बमुकाम डाबलीसरा, राजीव गांधी सेवा डाबलीसरा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुउपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के खेत मौजा अभोणियों का सरा के खसरा नंबर 693/356 रकबा 27.05 बीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा नंबर 357 रकबा 10 बिस्वा मे सुखाचार हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के खेत खसरा नं. 587/362 रकबा 10 बीघा में से 02 बिस्वा 08 बिस्वांशी एव खसरा नंबर 662/364 रकबा 22.12 बीघा मे से 05 बिस्वांशी नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा मजमे आम में पृष्टि की गई कि उनके द्वारा प्रकरण मे पत्रांक 4626 दिनांक 13.08.2019 को रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि ग्राम अभोणियों का सरा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 693/356 रकबा 27.05 बीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा नंबर 357 रकबा 10 बिस्वा मे पहुँचने हेतु मौजा अभोणियों का सरा मे प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण प्रार्थीगण एवं उपस्थित मौतबिरान के रूबरू किया गया मौका निरीक्षण से पाया गया कि नक्शा ट्रेस में की गयी सड़क की तरमीम व मौके पर निर्मित सड़क में ज्यादा भिन्नता है। राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस में की गयी सड़क की तरमीम व मौके पर निर्मित सड़क का कतई मिलान नही हो रहा है। नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नंबर 693/356 के लगती हुई सड़क की तरमीम अंकित है। खसरा नंबर 359 गै.मु. नाड़ी के भी लगती हुई सड़क की तरमीम है। गै.मु. सड़क के खसरा नंबर 585/362 की

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तरमीम खसरा नंबर 693/356 की सीमा से सटती हुई है। सलंग्न नक्शा ट्रेस मे खसरा नंबर 585/362 की तरमीम अंकित है। मौके पर निर्मित सड़क को बंरग हरा व प्रार्थी द्वारा चाहे गये मौके पर चल रहे रास्ता को बंरग पीला दर्शाया गया है। संलग्न नक्शा ट्रेस उक्त फर्द मौका का अभिन्न अंग रहेगा। लटठा ट्रेस में की गयी तरमीम की शुद्धि होने पर प्रार्थीगण को खसरा नंबर 693/356 व 357 में जाने के लिए रास्ता प्रस्तावित किया जाना सम्भव होगा। शुद्धि होने पर चाहे गये रास्ता रकबा लम्बाई 20 गटठा X चौड़ाई 03 गटठा = 03 बिस्वा होगा।

चूंकि प्रकरण मे प्रस्तावित रास्ते एवं सड़क की तरमीम मे अन्तर है। अतः तरमीम होने के बाद चाहे गये रास्ता रकबा लम्बाई 20 गटठा X चौड़ाई 03 गटठा = 03 बिस्वा बीघा भूमि की बाजार दर प्रति बीघा का 02 गुणा राशि उक्त खसरें में से गुजरता पडेगा। प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 03 गट्ठा रखी गयी है, जो आपस में जुड़ने वाले खसरों की सीमा पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा उक्त खेत में पहुचने का काई मार्ग नही है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को उसकी खातेदारी के खेत में आने-जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग इस खेत में जाने के लिए नही है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थीगण को आने-जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग उचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। मौजा अभोणियों का सरा के खसरा नंबर 693/356 रकबा 27.05 बीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा नंबर 357 रकबा 10 बिस्वा मे पहुँचने हेतु मौजा अभोणियों का सरा के खसरा नंबर 585/362 रकबा 10.00 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग रकबा 0.03 बिस्वा भूमि की बाजार दर प्रति प्रचलित बाजार दर उप पंजीयक बाड़मेर द्वारा बताऐ अनुसार का 02 गुणा राशि जिसकी गणना तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा करने के बाद में मार्ग का क्षैत्रफल 0.03 बिस्वा है, जो संलग्न नक्शा में बरंग "पीला" दर्शाया है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थी राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे पूर्व तरमीम दुरूस्ती के बाद तरमीम करावे तथा अप्रार्थी श्री दुरगाराम, सोनाराम, मगाराम, गंगाराम पि0 कुम्भाराम जाति जाट निवासी अभोणियों का सरा, तहसील बाड़मेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुधार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर,